रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238236
CG-DL-E-25082022-238236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
No. 561] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रारम्भिक पैरा में कोष्ठकों और शब्दों "(ऑप्टिकल फाइबर)" और "(मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन)" का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है"।

4. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"(2) इन नियमों के अधीन अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के परतुंक में "एक हजार रूपए प्रति किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-। में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखें जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में:-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1क) स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना का क्षेत्र डक्ट की लम्बाई एवं डक्ट के व्यास तथा डक्टों की संख्या के गुणज में होगा।

स्पष्टीकरण:- "डक्ट" से स्थायी तौर पर चिकना या किसी अन्य प्रकार का पाईप अभिप्रेत है जिसे तारयंत्र लाइन के लिए भूमिगत केबल पाइपलाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(1ख) समुचित प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से ऐसी संपत्ति के उपयोग के लिए जिसके नीचे भूमिगत तार अवसंरचना स्थापित करना प्रस्तावित है, अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए।

(ख) उप-नियम (2) के खण्ड (क) में:-

(i) "जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन" शब्दों के स्थान पर "भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अनुसूची के भाग-।। में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखें जाएंगे।

(ii) निम्नलिखित परतुंक अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"परंतु जहां भूमिगत तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए क्षैतिज दिशात्मक खुदाई प्रयुक्त की गई है वहां प्रत्यास्थापित भार केवल गड्ढों के लिए ही उदग्रहित किया जाएगा।";

(ग) उप-नियम (3) में "रकम" शब्द के स्थान पर "अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक" शब्द रखें जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) "नियम 5" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (1ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंत:स्थापित जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 9 के उप-नियम (3) के परंतुक में "दस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के भाग-। में विनिर्दिष्ट रकम" शब्द रखें जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना (मोबाइल टावर) की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मोबाइल टावर और सहायक अवसंरचना जैसे कि भूमि के ऊपर ट्रांसीवर स्टेशन, ईंजन अल्टरनेटर आदि के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा।";

(ख) उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना हेतु अचल सम्पत्ति के लिए संदेय प्रतिकर अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगा"।

(ग) उप-नियम (3) के खण्ड (क) में "की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर "या उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट

प्रतिकर, अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक, का संदाय, भी है, लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, के लिए" शब्द रखें जाएंगे ।

(घ) उप-नियम (4) में,-

(i) "फीस" शब्द के पश्चात् "और प्रतिकर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "नियम 9" शब्द और अंक के पश्चात् "उप-नियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक को अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ङ.) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) इस नियम तथा नियम 10ख और अनुसूची के प्रयोजन के लिए, पद-

(क) "मोबाइल टावर" से किसी तारयंत्र को ले जाने, निलबंन करने या सहारा देने के लिए भूमि से ऊपर किसी ऐसी प्रयुक्ति अभिप्रेत है जिसमें खंभा शामिल नहीं है;

(ख) "खंभा" से तारयंत्र को ले जाने, निलबंन करने या सहारा देने के लिए भूमि से ऊपर किसी ऐसी प्रयुक्ति अभिप्रेत है जिसकी ऊँचाई आठ मीटर से अनधिक हो;

(ग) "छोटे सेल" से निम्न पॉवर्ड सेलुलर रेड़ियो एक्सेस नोड जिसकी कवरेज दस मीटर से दो किलोमीटर दूरी तक है अभिप्रेत है।"

9. उक्त नियम के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"10क. छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर का उपयोग– (1) कोई अनुज्ञप्तिधारी छोटे सेल और तारयंत्र लाइन की स्थापना के प्रयोजन हेतु, जिस मार्ग फर्नीचर पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन को स्थापित करने का प्रस्ताव है उस मार्ग फर्नीचर के ब्यौरे और समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत संरचना अभियंता द्वारा उस मार्ग फर्नीचर की संरचना सुरक्षा को प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ, आवेदन को छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर के उपयोग की अनुज्ञा के लिए समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन को आवेदन की जांच के लिए प्रशासनिक व्यय को वहन करने हेतु ऐसा फीस जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए जो कि अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक हो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(3) समुचित प्राधिकारी आवेदन करने की तारीख के साठ दिनों से अनधिक की अवधि के भीतर कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आवेदन को अनुज्ञा प्रदान करेगा या लिखित रूप में कारणों के साथ निरस्त करेगा:

परंतु कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन को ऐसी अस्वीकृति के कारणों के संबंध में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है:

परंतु यह और कि यदि समुचित प्राधिकारी अनुज्ञा देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा दी गई समझी जाएगी।

(4) समुचित प्राधिकारी छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर के उपयोग हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट रकम से अनधिक को अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी अपने भवनों तथा अवसंरचनाओं पर छोटे सेलों को संस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करे।

(6) उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए "समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी" से ऐसी केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा निगमित या स्थापित प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है, जहां ऐसी संपति के नीचे, ऊपर, साथ में, चारों ओर, अंदर या बाहर जिसे भूमिगत या भूमि के ऊपर, ऐसी सरकार, प्राधिकारी, निकाय, कम्पनी या संस्था के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन, या में निहित तार अवसंरचना को स्थापित या अनुरक्षित किया जाना है।

10ख. निजी सम्पति पर तार अवसंरचना की स्थापना.- जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी निजी सम्पत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

परंतु किसी निजी भवन या अवसंरचना के ऊपर मोबाइल टावर या खंभें की स्थापना के मामले में अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थापना को शुरू करने से पहले समुचित प्राधिकारी को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि सूचना के साथ-साथ वह ऐसे भवन या अवसंरचना, जहां मोबाइल टावर या खंभे को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, का ब्यौरा और जहां पर मोबाइल टावर या खंभे को स्थापित करने का प्रस्ताव है उस भवन या अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को प्रमाणित करने वाले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत संरचना अभियंता द्वारा प्रमाणपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

10. उक्त नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

[नियम 5(3), 6(1ख), 6(2) (क), 6 (3), 9 (3), 10 (2), 10 (3) (क), 10 क (2), 10 क (4) देखें]

नियम	**मद**	**रकम**
(1)	(2)	(3)
भाग-। फीस		
5(3)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर।
9(3)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	(i) मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए दस हजार रूपए। (ii) भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर। (iii) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए शून्य। (iv) समुचित केन्द्रीय प्राधिकारी से इतर समुचित प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन अचल संपत्ति पर छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना हेतु खंभे की स्थापना के लिए एक हजार रुपए प्रति खंभा।
10क (2)	मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए	शून्य।
भाग-।। प्रत्यास्थापित भार		
6(2) (क)	ऐसी भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की वचनबद्धता नहीं दी गई है।	अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र के लिए यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि।

6(3)	ऐसी भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के मामलें में कार्य निष्पादन की सुरक्षा के रूप में बैंक गांरटी जहां पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्षति को प्रत्यावर्तित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वचनबद्धता दी गई है।	अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि का 20 प्रतिशत।
10(3) (क)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	अचल संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने हेतु उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित या उस क्षेत्र में यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित राशि। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना की दशा में अपेक्षित क्षति को प्रत्यावर्तित करेगा।
भाग-।।। प्रतिकर		
6 (1ख)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य
10 (2)	छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए खंभों की स्थापना	शून्य
10क (4)	छोटे सेलों और तारयंत्र लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर का उपयोग	(i) छोटे सेलों की संस्थापना के लिए: शहरी क्षेत्र के लिए तीन सौ रूपए प्रति वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सौ पचास रुपए प्रति वार्षिक प्रति मार्ग फर्नीचर। (ii) तारयंत्र लाइन की संस्थापना के लिए: एक सौ रूपए प्रति वार्षिक प्रति मार्ग फर्नीचर।

[फा. सं. 2-10/2022-नीति]

आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में तारीख 15 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 407 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 और सा.का.नि. 749 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा पश्चावर्ती रूप से संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

G.S.R. 635(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening paragraph, the brackets and words "(optical fibre)" and "(mobile towers and telegraph line)" shall be omitted.

3. In rule 2 of the said rules, in sub-rule (1), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.".

4. In rule 4 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every application for permission under these rules shall be made by the licensee on an electronic portal developed by the Central Government.".

5. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (3), in the proviso, for the words "one thousand rupees per kilometer", the words "the amount specified in Part-I of the Schedule" shall be substituted.

6. In rule 6 of the said rules, -

(a) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(1A) The area of the underground telegraph infrastructure proposed to be established shall be the length of duct multiplied by the diameter of the duct multiplied by the number of the ducts.

Explanation.- "duct" means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable conduit for telegraph line.

(1B) The appropriate authority shall be entitled to receive such compensation from the licensee, not exceeding the amount specified in Part-III of the Schedule, for the use of the property under which the underground telegraph infrastructure is proposed to be established, as may be determined by the appropriate authority.

(b) in sub-rule (2), in clause (a), -

(i) for the words "as may be specified, subject to the provisions of the Act and these rules", the words "not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where horizontal directional digging technology is used for establishing underground telegraph lines, restoration charges shall be levied for pits only.";

(c) in sub-rule (3), after the words "an amount", the words "not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule" shall be inserted;

(d) in sub-rule (4), -

(i) after the word "fee", the words "and compensation," shall be inserted;

(ii) after the word and figure "rule 5", the words, brackets and figure ",sub-rule (1B)" shall be inserted.

7. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (3), in the proviso, for the words "ten thousand rupees", the words "the amount specified in Part-I of the Schedule" shall be substituted.

8. In rule 10 of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The area of the overground telegraph infrastructure (mobile tower) proposed to be established shall be the area occupied by the mobile tower and the supporting infrastructures, such as base transceiver station, engine alternator, etc. at the ground.";

(**b**) in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the compensation payable for the immovable property for the establishment of poles for installation of small cells and telegraph line shall not exceed the amount specified in Part-III of the Schedule.".

(c) in sub-rule (3), in clause (a), for the words "or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules", the words ",not exceeding the amount specified in Part-II of the Schedule, or compensation, as specified in sub-rule (2)" shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), -

(i) after the word "fee", the words "and compensation," shall be inserted;

(ii) after the word and figure "rule 9", the words, brackets and figure ",sub-rule (2)" shall be inserted;

(e) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) For the purposes of this rule, and rule 10B and the Schedule, the expression,-

(a) "mobile tower" means any above-ground contrivance for carrying, suspending or supporting a telegraph and does not include pole;

(b) "pole" means any above-ground contrivance of height not exceeding eight meters for carrying, suspending or supporting a telegraph and does not include mobile tower;

(c) "small cell" means a low powered cellular radio access node that has a coverage of distance from ten meters to two kilometers.".

9. After rule 10 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely: –

"10A. Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line.-(1) A licensee shall for the purpose of installation of small cell and telegraph line submit an application, along with details of street furniture and a copy of certification by a structural engineer authorised by appropriate authority, attesting to the structural safety of the street furniture where installation of small cells and telegraph line is proposed to be deployed, to the appropriate authority for permission to use street furniture for installation of small cells and telegraph line.

(2) The application under sub-rule (1), shall be accompanied with such fee as may be determined by the appropriate authority to meet administrative expenses for examination of the application, which shall not exceed the amount specified in Part-I of the Schedule.

(3) The appropriate authority shall, within a period not exceeding sixty days from the date of application made, grant permission or reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection:

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission or reject the application.

(4) The appropriate authority shall be entitled to receive such compensation from the licensee, not exceeding the amount specified in Part-III of the Schedule, for use of street furniture for installation of small cells and telegraph line, as may be determined by the appropriate authority.

(5) The appropriate central authority may permit installation of small cells on their buildings and structures.

(6) For the purposes of sub-rule (5), the "appropriate central authority" means the Central Government or the authority, body, company or institution, incorporated or established by the Central Government, in respect of property, under, over, along, across, in or upon which underground or overground telegraph infrastructure, is to be established or maintained, vested in, or under, the control or management of such Government, authority, body, company or institution.

10B. Establishment of telegraph infrastructure over private property.– Where the licensee proposes the establishment of overground telegraph infrastructure over any private property, the licensee shall not require any permission from the appropriate authority:

Provided that in case of establishment of mobile tower or pole over a private building or structure, the licensee shall submit an intimation, in writing, to the appropriate authority, prior to commencement of such establishment:

Provided further that along with the intimation, he shall also submit the details of the building or structure, where the establishment of mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer, authorised by the appropriate authority, attesting to the structural safety of the building or structure, where the mobile tower or pole is proposed to be established.".

10. After rule 14 of the said rules, the following Schedule shall be inserted, namely: -

"THE SCHEDULE

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (a), 6 (3), 9 (3), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4)]

Rule	**Item**	**Amount**
(1)	**(2)**	**(3)**
Part-I Fee		
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer.

9(3)	For establishment of overground telegraph infrastructure	(i) Ten thousand rupees for establishment of mobile towers (ii) One thousand rupees per kilometer for establishment of overground telegraph line. (iii) Nil for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate central authority (iv) One thousand rupees per pole for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate authority, other than appropriate central authority.
10A (2)	For installation of small cells and telegraph line using the street furniture	Nil.
Part-II Charges for restoration		
6(2)(a)	Establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is not given by the licensee to discharge the responsibility to restore the damages	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.
6(3)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is given by the licensee to discharge the responsibility to restore the damages	20% of the sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.
10(3)(a)	Establishment of overground telegraph infrastructure	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area. Further, licensee shall restore the damage incurred in case of establishment of poles for installation of Small Cells and telegraph line.
Part-III Compensation		
6(1B)	Establishment of underground telegraph infrastructure	Nil.
10(2)	Establishment of poles for installation of small cells and telegraph line	Nil
10A (4)	Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line	(i) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture. (ii) For installation of telegraph line: One hundred rupees per annum per street furniture.

”.

[F. No. 2-10/2022-Policy]

ANAND SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 407 (E), dated the 21st April, 2017 and G.S.R. 749 (E), dated the 21st October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.25 10:58:47 +05'30'